संख्या-65/2021/1103/26-3-2021

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक: 27 मार्च 2021

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-गोरखपुर की तहसील-सदर ग्राम-खुर्रमपुर टप्पा कस्बा परगना-हवेली में आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 कोचिंग के संचालन हेतु फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1127-28/स0क0/विकास/आदर्श निर्माण/2020-21, दिनांक-25.03.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 08-अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, 00-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद में **धनराशि रू0-100.00 लाख (रू0-एक करोड़ मात्र)** को अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 19-दिल्ली स्थित संस्थानों में आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 प्रारंभिक परीक्षा हेतु पूर्व परीक्षा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-प्रश्नगत प्रकरण में लम्बित देयता का भुगतान सत्यापन उपरांत सही पाने पर ही किया जायेगा।

(9)-धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(10)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिये उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 08-अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, 00-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-65 /2021/1103 (1)/26-3-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

बी0एम0-9 (भाग-1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-156)

अनुदान संख्या-83-08-अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र (समाज कल्याण विभाग)

वित्तीय वर्ष 2020-21 (रू0 लाख में)

| निम्नलिखित मदों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2225-01-789-01-19-00-20<br>2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 19 दिल्ली स्थित संस्थानों में आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 प्रारंभिक परीक्षा हेतु पूर्व परीक्षा | | | | | |
| 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
| योग- | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |

| निम्नलिखित मदों में प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2225-01-789-08-00-12<br>2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 08-अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र 00- | | | | | |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 0.750 | 100.750 | 100.000 | 100.000 | 100.750 |
| योग- | 0.750 | 100.750 | 100.000 | 100.000 | 100.750 |

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में व्यय निम्नलिखित कारणों से है-योजना/अधिष्ठान के क्रियान्वयन किये जाने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151, में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-704/दस-2021 दिनांक 27 मार्च 2021

सेवा में

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0, इलाहाबाद।

(राकेश कुमार सचान)

अनु सचिव

समाज कल्याण विभाग।

राजेन्द्र राम

अनु सचिव

वित्त विभाग।

ह0।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृष्ठांकन 65 / 2021 1103 (1) / 26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।